राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः 135/एनपीएस/जनरल/2011–12/6448 दिनांकः–17.2.2012

कार्यालय निर्देश

विषय :– नवीन पेन्शन योजना के लीगेसी डेटा को सी.आर.ए. सिस्टम में अपलोड करने एवं राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने बाबत्।

राज्य सरकार द्वारा एन.पी.एस.योजना के अंतर्गत पी.एफ.आर.डी..ए. आर्किटेक्चर को पूर्ण रूपेण (इनटोटो) अपनाने का निर्णय लिये जाने के पश्चात् इस विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा अंशदाताओं को CRA से प्रान अलॉट करवाने की कार्यवाही की गई है । जिन अंशदाताओं को PRAN आवंटित हो गये है, उनका नियमित डेटा एन.एस डी.एल के वेबपोर्टल पर प्रतिमाह अपलोड कर अंशदान राशि योजना के ट्रस्टी बैंक(बैंक आफ इण्डिया) को हस्तान्तरित करने का कार्य दिनांक 1.11.2011 से प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना की प्रारम्भ तिथि दिनांक 1.1.2004 से लिगेसी डेटा को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश समय समय पर पूर्व में जारी किये गये है एवं विडियो कान्फ्रेन्स के जरिये प्रतिमाह आयोजित समीक्षात्मक बैठको में भी इस संबंध में प्रकिया का विस्तार से खुलासा किया गया है । उक्त कार्य पूर्ण किया जाकर निर्धारित प्रकिया अनुसार समस्त अंशदान राशि दिनांक 31.3.2012 से पूर्व ट्रस्टी बैंक को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन अभी तक की प्रगति की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि कतिपय जिला कार्यालयों को छोड कर अधिकांश जिलों में लिगेसी डेटा को पूर्ण करने की स्थिति संतोषजनक नहीं है । अतः इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के संबंध में निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते है :–

(1) इन निर्देशों के तहत लिगेसी डेटा से संबंधित राज्य कर्मचारियों एवं पंचायत समिति/जिला परिषद के कर्मचारियों की ही अशंदान राशि (मय नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज)ट्रस्टी बैंक को भिजवाये जाने की कार्यवाही, कर्मचारी के वर्तमान पदस्थापन वाले विभागीय जिला कार्यालय द्वारा की जायेगी ।

(2) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का लिगेसी डेटा एनपीएस अनुभाग, मुख्यालय द्वारा एनएसडीएल के वेब पोर्टल पर निर्धारित प्रकिया अनुसार अपलोड किया जाकर राशि ट्रस्टी बैंक को भिजवाई जायेगी । इस प्रयोजन के लिए संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा बकाया लेजर्स पूर्ण कर अविलम्ब मुख्यालय को भिजवाये जायेगे ।

(3) स्वायत्शासी निकायो के कर्मचारियों की लिगेसी राशि ट्रस्टी बैक को इस विभाग द्वारा नहीं भेजी जानी है । इन कर्मचारियों की राशि संबंधित संस्थाओं के द्वारा ही ट्रस्टी बैक को भेजी जायेगी, परन्तु जिस अवधि का अंशदान विभाग में जमा हुआ है उस अवधि के सभी अंशदाताओं के लेजर्स पूर्ण करने की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये, ताकि राज्य सरकार से इस बारे में निर्देश प्राप्त कर तदानुसार राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही किया जाना संभव हो सके ।

130

(4) लिगेसी राशि हस्तान्तरण करने वाला जिला कार्यालय, राशि स्थानान्तरण से पूर्व ये सुनिश्चित करेगा कि संबंधित अंशदाता की नियुक्ति तिथि से लेकर, जिस माह से नियमित अंशदान ट्रस्टी बैक को भिजवाना प्रारम्भ किया है,उस माह के पूर्व माह तक की समस्त अवधि के लेजर्स पूर्ण हो गये है एवं उनमें कर्मचारी के अंशदान का राजकीय अंशदान से मिलान हो गया है । यदि किसी अवधि का अन्य जिले से रेकार्ड मंगवाया जाना है तो संबंधित जिले को सूचित किया जाकर वहां से संबंधित अवधि का पूर्ण रेकार्ड मंगवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । ब्याज की फलावट भी नियमानुसार की जायेगी एवं अंशदाता का खाता पूर्ण होने पर ही राशि ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

(5) जिन राज्य कर्मचारियों (जिन का वेतन कोष कार्यालय से आहरित होता है) का राजकीय अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे मामलों में इस तथ्य को सुनिश्चित किया जाकर कि पूर्व में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उस अवधि का राजकीय अंशदान आहरित नहीं किया गया है, तत्पश्चात् कर्मचारी के अंशदान के समान उस अवधि का राजकीय अंशदान, संबंधित विभागीय जिला कार्यालय के द्वारा बजट मद 2071–01–117–(01)–89 से बिल के जरिये कोष कार्यालय से आहरित किया जायेगा एवं कोष कार्यालय से आहरित राजकीय अंशदान की राशि को बजट मद 8011–106–(03)[01] में समायोजित कराया जायेगा । तत्पश्चात इस राशि की खतोनी तदानुसार संबंधित कर्मचारी के लेजर में की जायेगी । अप्राप्त राजकीय अंशदान एवं ब्याज की विवरण पंजिकाएँ कार्यालय निर्देश दिनांक 8.9.2011 में दिये गये प्रारुप के अनुरुप संधारित की जायेगी ।

(6) विभागीय जिला कार्यालय द्वारा कोष कार्यालय से एकमुश्त राजकीय अंशदान की राशि आहरित करते समय बिल में संबंधित कर्मचारियों का नाम, कर्मचारी आई.डी.,राजकीय अंशदान की राशि, अवधि इत्यादि की सूचना देते हुए यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जायेगा कि पूर्व में इस राशि को पूर्व में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं किया गया है ।

(7) राजकीय अंशदान पर ब्याज की गणना, जिस माह में राजकीय अंशदान राजकोष से आहरित होकर एनपीएस फण्ड में जमा हुआ है, उसी तिथि से की जायेगी ।

(8) पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों के स्वंय के अंशदान एवं राजकीय अंशदान का मिलान करते समय जिस अवधि में राजकीय अंशदान की कमी पाई जाती है तो उसका विवरण पत्र तैयार कर विभागीय जिला कार्यालय द्वारा संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद को भिजवाया जाकर उनसे राजकीय अंशदान की कमी की राशि को अविलम्ब एकमुश्त भेजने का अनुरोध किया जायेगा । ऐसे मामलों में संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद से राजकीय अंशदान की कमी की राशि विभागीय कार्यालय में प्राप्त होने पर उसको संबंधित बजट मद 8011 में जमा कराया जायेगा एवं तदानुसार संबंधित कर्मचारियों के खाते में राजकीय अंशदान की राशि की खतोनी की जायेगी एवं पूरी अवधि का लिगेसी डेटा पूर्ण होने पर ही यह राशि ट्रस्टी बैंक को भिजवाने की कार्यवाही की जायेगी ।

(9) विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा, उनके जिले में कर्मचारी के पदस्थापन की सम्पूर्ण अवधि की खतोनी पूर्ण करने के पश्चात् ही, लेजर्स को कर्मचारी के वर्तमान पदस्थापन वाले जिला कार्यालय को स्थानान्तरित किया जायेगा । यदि किसी अवधि का राजकीय अंशदान संबंधित डीडीओ द्वारा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है, तो इस स्थिति को सुनिश्चित किया जाकर इस आशय का स्पष्ट अंकन लेजर पर किया जायेगा, जिसके आधार पर वर्तमान पदस्थापन वाले जिला कार्यालय द्वारा कर्मचारी के राजकीय अंशदान की कमी की राशि को एकमुश्त आहरित कर लिगेसी राशि ट्रस्टी बैंक को शीघ्र भिजवाया जाना संभव हो सके ।

(10) नवीन पेंशन योजना में जमा राशि पर ब्याज, विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा प्रावधायी निधि खातों में दिये जाने वाले ब्याज की तरह गणना कर दिया जाता है जबकि नवीन पेंशन योजना के फण्ड में कोषाधिकारी द्वारा ब्याज पीडी खाते की तरह दिया जा रहा है । पीडी खाते में ब्याज, उस माह में 5 तारीख तक प्राप्त राशि पर दिया जाता है जबकि प्रावधायी निधि में माह में किसी भी तारीख को राशि प्राप्त होने पर पूरे माह का ब्याज दिया जाता है । राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रावधायी निधि खातों में दिये जाने वाले ब्याज की गणना के अनुसार ही नवीन पेंशन योजना निधि में उपलब्ध राशि पर ब्याज दिया जायेगा । अतः संबंधित कोषाधिकारियों से तदानुसार दिनांक 1.1.2004 से ही सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्याज की पुर्नगणना करवा कर अतिरिक्त ब्याज राशि के बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव इस विभाग को भिजवाये जाये ताकि अतिरिक्त बजट राशि के आवंटन की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा सके । ब्याज में अन्तर की राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय ले लिया गया है ।

(11) राजकीय अंशदान एवं कर्मचारी के अंशदान की राशि का मिलान करने एवं कर्मचारी के लेजर में खतौनी की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् लिगेसी डेटा अपलोड करने के लिए विभागीय जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार SCF तैयार की जायेगी जिसमें कर्मचारी के राजकीय अंशदान एवं स्वंय के अंशदान की एकमुश्त राशि को पृथक–पृथक संबंधित कालम में दिखाया जायेगा (स्वंय के अंशदान एवं राजकीय अंशदान का मिलान हो जाने की स्थिति में उपरोक्त राशि समान होगी) तथा "ऐरियर " को सलेक्ट कर रिमार्क कालम में अंशदान की अवधि अंकित की जायेगी। उदाहरण के लिये किसी कर्मचारी का अप्रेल 2005 से सितम्बर 2011 तक का डेटा अपलोड किया जाना है तथा कुल प्राप्त राशि ब्याज सहित 2,05,000/– है तो SCF में उसका स्वंय का अंशदान 1,02,500/– एवं राजकीय अंशदान के कॉलम में भी 1,02,500/– अंकित किया जायेगा तथा रिमॉर्क के कॉलम में "एरियर राशि अप्रेल 2005 से सितम्बर 2011" अंकित की जायेगी ।

(12) विभागीय जिला कार्यालय द्वारा SCF में अंकित राशि के बराबर राशि अधिकार पत्र द्वारा आहरित की जाकर उक्त राशि जिला कार्यालय के एनपीएस बैंक खाते में जमा करायी जायेगी,तत्पश्चात RTGS/NEFT/ चैक के द्वारा ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित की जायेगी व CRA को सूचित किया जायेगा। विभागीय जिला कार्यालय द्वारा लीगेसी राशि आहरित करने हेतु कोष कार्यालयों को भिजवाये जाने वाले अधिकार पत्रों को पारित करने बाबत निदेशक, कोष एवं लेखा के द्वारा उनके पत्र क्र. एफ–5(थ–18)कोष/पेंशन/ एनपीएस/10839–877 दिनांक 8.2.2012. द्वारा कोषाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है।

(30

(13) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 31.10.2011 से पूर्व सेवानिवृत हो चुके है अथवा उक्त तिथि से पूर्व जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके एनपीएस के अंशदान (मय राजकीय अंशदान एवं ब्याज)को NSDL के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जाने के निर्देश विभागीय परिपत्र प–135/एनपीएस/जनरल/2011/6306–6356 दिनांक 9.2.2012 द्वारा दिये गये थे। अतः समस्त जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे कर्मचारियों की राशि जिसमें राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के अन्तर्गत समायोजित कर्मचारी भी सम्मिलित है, को किसी भी परिस्थिति में ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित नहीं किया जाये । एन पीएस के ऐसे अंशदाता जो दिनांक 31.10.2011 से पूर्व सेवानिवृत हो चुके है उनकी एनपीएस की सम्पूर्ण राशि (मय राजकीय अंशदान एवं ब्याज) संबंधित कर्मचारी को लौटाने हेतु आवश्यक निर्देश इस विभाग के परिपत्र दिनांक 9.2.2012 के द्वारा जारी किये जा चुके है ।

(14) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 31.10.2011 तक सेवानिवृत नहीं हुए है उन सभी कर्मचारियों की बकाया सेवा अवधि को ध्यान में रखे बिना उनका अंशदान नियमित रुप से ट्रस्टी बैंक को भिजवाया जाने के निर्देश पूर्व में जारी किये हुए है । ऐसे कर्मचारियों का लिगेसी डेटा भी एनएसडीएल के वेबपोर्टल पर अपलोड कर राशि ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित की जानी है ।

अतः पुनः सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.3.2012 तक लीगेसी डेटा को सी.आर.ए. व्यवस्था के अन्तर्गत अपलोड करते हुए राशि ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– प्रपत्र 4

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः 135/एनपीएस/जनरल/2011–12/6448–64 दिनांकः–17.2.2012

प्रतिलिपि आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग,शासन सचिवालय,राज.जयपुर ।
2. निदशक, कोष एवं लेखा को भेजकर निवेदन है कि वे अपने स्तर पर समस्त कोषाधिकारियों को समुचित निर्देश प्रसारित करायें ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया सुगम रहे।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, संभागीय कार्यालय .....
4. समस्त कोषाधिकारी ।
5. समस्त जिला अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्राव0निधि विभाग, ...
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर।
7. प्रधान सम्पादक,लेखाविज्ञ,लालकोठी,जयपुर को मार्च 2012 के लेखाविज्ञ के अंक में प्रकाशन हेतु ।

17.2.12
अतिरिक्त निदशेक(एनपीएस/पीएफ)